SC कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की अनुशंसा की

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम **ने राजस्थान** उच्च न्यायालय में **न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुशंसा** की है।

मुख्य बिंदु

- **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश:**
  - **प्रक्रिया:** उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली पर आधारित प्रक्रिया का पालन करती है, जिसे विभिन्न ऐतिहासिक मामलों के माध्यम से स्थापित किया गया था, जैसे कि द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993) और तृतीय न्यायाधीश मामला (1998) में इसे और स्पष्ट किया गया था।
    - **कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका को** सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की अनुशंसा करने का अधिकार करती है, जिसमें सरकार की भूमिका सीमित होती है।
    - तीसरे न्यायाधीश मामले (1998) के बाद, केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों को औपचारिक रूप दिया।**
  - **उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति:**
    - उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिये कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
    - यह कॉलेजियम उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिये अनुशंसित व्यक्ति के बारे में **संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश**, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों तथा उस उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विचारों को ध्यान में रखते हुए राय बनाएगा।
  - **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिये प्रक्रिया ज्ञापन (MoP):**
    - **उच्च न्यायालय कॉलेजियम की अनुशंसा:** उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उस न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से नियुक्ति के लिये नामों की अनुशंसा करता है।
    - **राज्य स्तरीय समीक्षा:** अनुशंसाएँ मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास उनके विचार जानने के लिये भेजी जाती हैं, हालाँकि उनके **पास अनुशंसा को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं** है।
    - **केंद्र सरकार की प्रक्रिया:** राज्यपाल अनुशंसाओं को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री के पास भेजते हैं, जो पृष्ठभूमि की जाँच करते हैं।
    - **सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम समीक्षा:** इसके बाद अनुशंसाएँ CJI को भेजी जाती हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम से परामर्श करते हैं। अगर मंज़ूरी मिल जाती है, तो नाम अंतिम मंज़ूरी के लिये राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं।
      - **सरकार की भूमिका नियुक्तियों में देरी करने या चिंता व्यक्त करने तक सीमित है,** लेकिन वह कॉलेजियम की अनुशंसाओं को रद्द नहीं कर सकती।
- **कॉलेज सिस्टम:**
  - यह न्यायाधीशों (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय) की **नियुक्ति और स्थानांतरण** की प्रणाली है जो **उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है,** न कि **संसद के अधिनियम** या संविधान के प्रावधान द्वारा।

Appointment	Consultation
Appointment of Judge of Supreme Court	4 Senior most Judges of the Supreme Court
Appointment of Judge of High Court	2 Senior most Judges of the Supreme Court
Transfer of Judge of High Court	4 Senior most judges of the Supreme Court along with the judges of the two High Courts.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-collegium-recommends-rajasthan-hc-judges